# विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण

**27. विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण.**— (1) प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, हिन्दू अविभक्त परिवार, सोसाइटी, कंपनी या निगम, वह या जो विक्रय, वितरण या परिदान के लिए किसी वस्तु को पहले से पैक करता है या आयात करता है तो वह अपने या उसके नाम और पूरे पते के पंजीकरण के लिए निदेशक या नियंत्रक को पांच सौ रुपये की फीस सहित एक आवेदन देगा और प्रत्येक ऐसा आवेदन.—

(i) यदि कोई आवेदक इस नियम के लागू होते समय पूर्व पैकिंग करता है या कोई वस्तु आयात करता है, तो नियम के लागू होने के 90 दिनों के भीतर, या

(ii) यदि कोई आवेदक, वह या जो इस नियम के लागू होने के उपरान्त किसी वस्तु का पूर्व पैकिंग या आयात शुरू करता है तो पूर्व पैकिंग प्रारम्भ करने से 90 दिन की अवधि में।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) आवेदक का नाम;

(ख) उस परिसर का पूरा पता जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा एक या अधिक वस्तुओं का पूर्व पैकिंग या आयात किया जाता है; और

(ग) आवेदक द्वारा पूर्व पैक की गई या आयात की गई वस्तु या वस्तुओं के नाम।

**स्पष्टीकरण** : इस उपनियम में "पूरा पता" का वही अर्थ है जो नियम 10 के उपनियम (1) के स्पष्टीकरण में है।

(3) उपनियम (1) के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी प्रकार से किए गए परिवर्तन पर, निदेशक या नियंत्रक को संबंधित विनिर्माता या पैकर या आयातक को सौ रुपए के शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।